संख्या: 37/2017/423/छप्पन-2017-93/2016 टी0सी0

प्रेषक,

डा0 सत्य प्रकाश तिवारी,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ: दिनांक: 12 अप्रैल, 2017

विषय: वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए आय-व्ययक में अनुदान संख्या-38 के अधीन व्यवस्थित लेखानुदान की धनराशि का प्रदेशन (एलाटमेन्ट)।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्तीय सलाहकार (बजट) एवं विशेष सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या-बी-1-404/दस-2017-231/2017, दिनांक 20.03.2017 के क्रम में वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-7 के पत्र संख्या- ई-7-48/दस-2017, दिनांक 23.03.2017 (छायाप्रति संलग्नकों सहित) के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 के **प्रथम पांच माहों (अप्रैल, 2017 से अगस्त, 2017 तक)** के लिए लेखा अनुदान के अन्तर्गत स्वीकृत धनराशि का प्रदेशन (एलाटमेन्ट) किया गया है। अत: राज्यपाल महोदय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में नागरिक उड्डयन विभाग की अनुदान संख्या-38 के आयोजनेत्तर पक्ष में लेखा शीर्षक "2070" "2203" तथा "3053" के अधीन संलग्न विवरणों के अनुसार इंगित लेखा शीर्षकों के मदवार लघु इकाईयों में क्रमश: रू0 19,08,75,000/- रू0 92,93,000/- एवं रू0 16,66,000/- अर्थात् कुल रू0 20,18,34,000/- (रूपये बीस करोड़ अट्ठारह लाख चौंतीस हजार मात्र) की धनराशि के व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उक्त धनराशि को आवश्यकतानुसार वचनवद्ध मदों के लिये उक्त शासनादेश दिनांक 20.03.2017 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए व्यय किया जाये तथा व्यय के लिए जहां आवश्यक हो नियमानुसार शासन का सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति प्राप्त कर ली जाये। लेखा अनुदान अवधि के लिए इंगित शासनादेश में वित्तीय वर्ष 2017-18 के प्रथम पाँच माहों के लिये आपके निवर्तन पर रखी गयी धनराशि का समायोजन वर्ष 2017-18 के लिए उपलब्ध कुल धनराशि से किया जायेगा।

भवदीय,

संलग्नक - उपरोक्तानुसार।

(डा0 सत्य प्रकाश तिवारी)
अनु सचिव।

-----2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या: 37/2017/423(1)/छप्पन-2017 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एक आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार-प्रथम (लेखा एवं हकदारी), उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- उप महालेखाकार, ई0एस0-।।।, आडिट भवन, टीसी-35-वी-1, विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ-10
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
4- निदेशक, ए0टी0आई0, उ0प्र0, लखनऊ।
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
7- नियोजन अनुभाग-4
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(डा0 सत्य प्रकाश तिवारी)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।